भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:परिपत्र

Reference No.:IRDAI/HLT/CIR/MISC/082/04/2020 **Date:**03/04/2020

कोविद 19 स्थिति के परिणामस्वरूप लाकडाउन अवधि (25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक) के दौरान देय होनेवाली स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान

परिपत्र

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/082/04/2020 दिनांक:03-04-2020

कोविद 19 स्थिति के परिणामस्वरूप लाकडाउन अवधि (25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक) के दौरान देय होनेवाली स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान

शीर्षांकित विषय पर परिपत्र संदर्भःआईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/078/04/ 2020 दिनांक 02 अप्रैल 2020 के संबंध में प्राधिकरण को कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं।

उक्त प्रश्न और उनके उत्तर इसके नीचे दिये जाते हैं :

1. स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में नवीकरण प्रीमियम के भुगतान पर अधिसूचना के क्या परिणाम होंगे?

उत्तरःउक्त लाकडाउन अवधि के दौरान नवीकरण प्रीमियम विप्रेषित करने में पालिसीधारकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः बीमाकर्ताओं को उन मामलों में जोखिम को कवर करने के लिए निदेश दिया जाता है जहाँ नवीकरण प्रीमियम देय हैं, परंतु भुगतान 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक की अवधि के दौरान नहीं किया जा सका, बशर्ते कि नवीकरण प्रीमियम का भुगतान 21 अप्रैल 2020 को या उससे पहले किया गया हो।

2. क्या यह वैयक्तिक पालिसियों के लिए लागू है अथवा सामूहिक पालिसियों के लिए अथवा दोनों के लिए लागू है?

उत्तरःयह स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय की सभी पालिसियों, अर्थात् दोनों वैयक्तिक और सामूहिक पालिसियों के लिए लागू है।

3. वह तारीख क्या होगी जब से स्वास्थ्य पालिसी के नवीकरण की गणना की जाएगी?

उत्तरःनवीकृत पालिसी के प्रारंभ की तारीख वह होगी जिस तारीख को नवीकरण प्रीमियम वास्तव में देय है। उदाहरण के लिएःयदि वर्तमान पालिसी 27 मार्च 2020 को समाप्त होती है तथा नवीकरण प्रीमियम का भुगतान 20 अप्रैल 2020 को किया जाता है, तो पालिसी का नवीकरण 28 मार्च 2020 से प्रभावी होगा।

4. क्या कोई बीमाकर्ता अथवा बीमा एजेंट अथवा बीमा मध्यवर्ती पालिसीधारकों को लाकडाउन अवधि के दौरान नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने के लिए सूचित कर सकता है / स्मरण करा सकता है।

उत्तरःआईआरडीएआईपालिसीधारक को समय पर प्रीमियम विप्रेषित करने के लिए सूचित करता है। सभी बीमाकर्ताओं, बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों से प्रत्याशित है कि वे नवीकरण प्रीमियम विप्रेषित करने के लिए पालिसीधारकों को सूचित करें।

5. क्या पालिसीधारक प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 21 अप्रैल 2020 तक प्रतीक्षा कर सकता है?

उत्तरःपालिसीधारक नवीकरण प्रीमियम का विप्रेषण इलेक्ट्रानिक अथवा डिजिटल माध्यम से किसी भी समय कर सकता है, यद्यपि 21 अप्रैल 2020 बाह्य (आउटर) सीमा है।

(टी. एल. अलमेलु)
सदस्य (गैर-जीवन)